RERA APPROVED

अनंत नगर योजना

में भूखण्डों के आवंटन हेतु

पंजीकरण पुस्तिका

अपना घर
अपनी पहचान

(प्रतीकात्मक)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

विकास का आधार, विकास का वास्तुकार

विवरण पुस्तिका

पंजीकरण:

पंजीकरण की अवधि: 4.4.2025 से 3.5.2025 तक

पंजीकरण हेतु पात्रता:

आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते है।

आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए।

Information Booklet

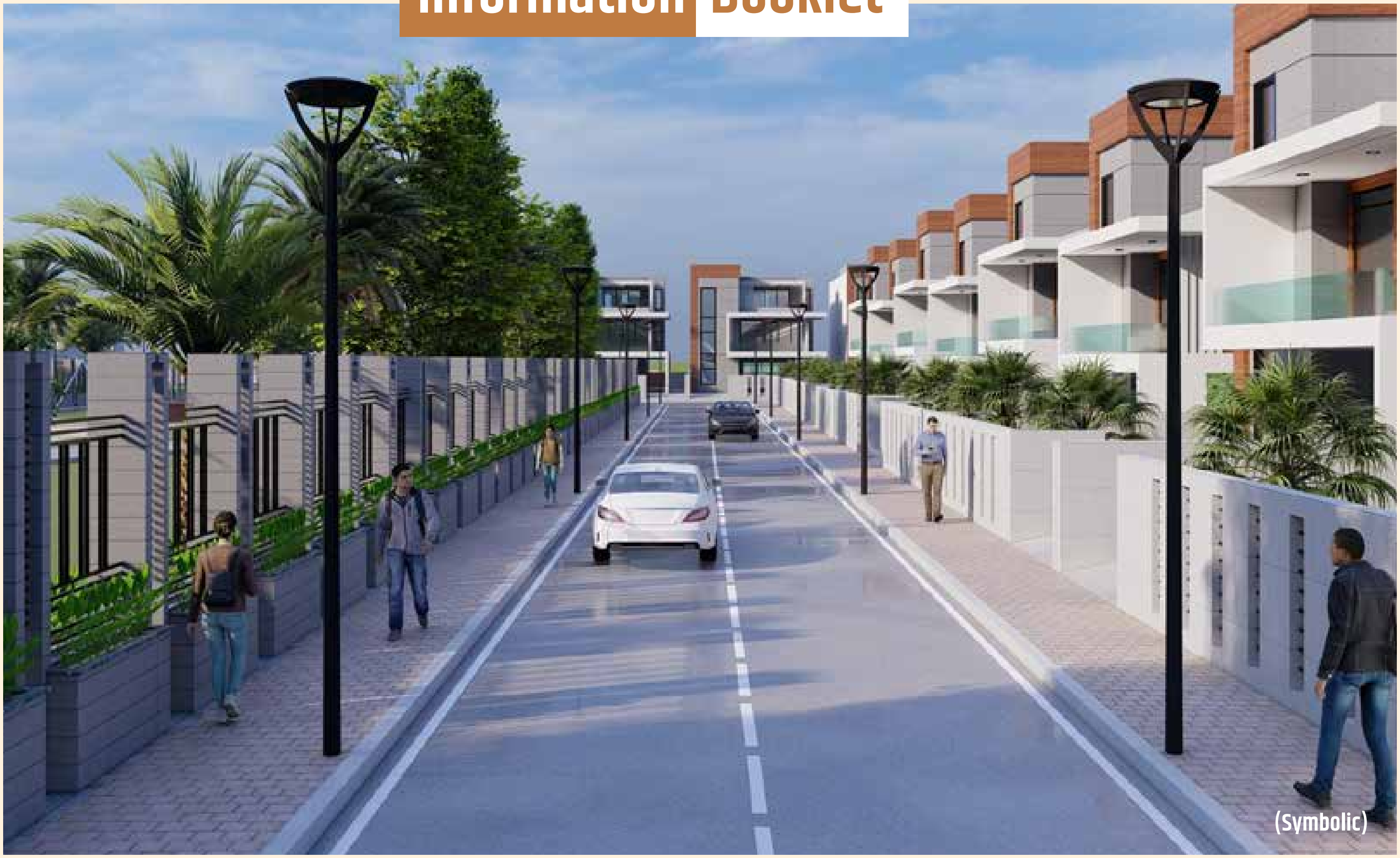

Registration

Registration Period: 4.4.2025 to 3.5.2025

Eligibility for Registration

Applicant must be over 18 years of age.

Applicant should be a citizen of India. NRIs can apply.

Applicant or any member of his family should not have any residential building/plot in Lucknow & not more than one residential building/plot in U.P. allotted by LDA/UPHB/any other government department.

3. भूखण्डों का मूल्य एवं पंजीकरण: धनराशि

भूखण्ड श्रेणी / संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवंटन दर (प्रति वर्ग मीटर)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि 5% (लाख रुपये में)	अवशेष भुगतान
ए/19	450	41150	18517500	925875	17591625
बी/105	288	41150	11851200	592560	11258640
सी/50	200	41150	8230000	411500	7818500
डी/39	162	41150	6666300	333315	6332985
ई/121	112.5	41150	4629375	231468.75	4397906.25

नोट: 1. उपरोक्त दरों में 12% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्ति, देय होगा।

2. भूखंडों की संख्या अनुमानित है एवं घट-बढ़ सकती है।

3. उपलब्ध भूखण्ड योजना के आदर्श खण्ड में स्थित है।

आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत जमा करनी होंगी।
आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि 2.5 प्रतिशत होगी।
आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 08 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
देय धनराशि की किश्ते समय से जमा न किये जाने की स्थिति में 11 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दण्ड ब्याज देय होगा।
कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी आवंटन में तीनों गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20 प्रतिशत अधिक देय होगा।

(प्रतीकात्मक)

3. Price of plots and registration: Amount

Category of Plot/No. of Plots	Area (Sqmt)	Allotment Rate (per square meter)	Tentative Cost	Registration Amount (5% of Cost)	Balance
A/19	450	41150	18517500	925875	17591625
B/105	288	41150	11851200	592560	11258640
C/50	200	41150	8230000	411500	7818500
D/39	162	41150	6666300	333315	6332985
E/121	112.5	41150	4629375	231468.75	4397906.25

Note: Free-hold charge at the rate of 12% will be payable in addition to the above rates.
The number of plots is estimated and may increase or decrease.
The available plots are located in the Adarsh Khand Sector of the scheme.

The applicants have to apply online by depositing 5% amount of the cost of land towards registration amount.

The registration amount for reserved category will be 2.5%.

After the allotment the allottee have to deposit balance amount in 08 Quarterly installments with 9% annual interest or one-time payment as the case may be.

If the payment is not made by due date, then penal interest @ 11% compound annually shall be payable.

In case of corner plot 10% extra shall be charged and likewise for park facing 5% extra and if the plot is situated at 18 meter wide road or above 10% extra shall be charged. If all the three above categories found in a plot then the value of plot shall be 20% above the normal value.

(Symbolic)

4. छूट:
ऑनलाइन आवंटन पत्र डिजिटली हस्ताक्षर होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर अवशेष सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर 75 प्रतिशत धनराशि (फ्री होल्ड धनराशि को छोड़ कर) पर 5 प्रतिशत की छूट होगी। आवेदक द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जानी चाहिए। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के समय देय अन्य मदों में समायोजित किया जायेगा।

5. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:
यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, नामान्तरित कर दिया जायेगा।

(प्रतीकात्मक)

(Symbolic)

4. Discount:

If the remaining total amount is paid within 60 days from the date of digital signing of the online allotment letter, a 5% discount will be applicable on 75% of the amount (excluding the freehold amount). The applicant should not deduct this discount on their own while depositing the remaining amount. The discounted amount will be adjusted under other payable heads at the time of the final calculation.

5. In case of the applicant's death:

If the allottee or applicant passes away, the registered amount or the allotted plot will be transferred to their legal heir upon the submission of the required documents.

6. आरक्षण:

उ0प्र0 सरकार के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत् है:-

क्र0सं0	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4	विधायक / सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	सरकारी सेवको तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।	05
6	विकास प्राधिकरण / उ0प्र0 आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8	वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)	10% हॉरिजॉन्टल
9	दिव्यांग जन	5% हॉरिजॉन्टल

24M wide road section (प्रतीकात्मक)

6. Reservation:

According to the government order related to reservation of Uttar Pradesh, reservation will be permissible to different classes, which is presently as follows:

S. No.	Category	Percentage
1	Scheduled Caste	21
2	Scheduled Tribes	02
3	Other Backward Classes	27
4	MLA/MLC/MP and freedom fighter and their dependent	05
5	Serving government employees and security personnel who have completed 50 years of age.	05
6	Staff of Development Authority / Uttar Pradesh Housing Development Council, Jal Sans than, Municipal Corporation and Local Body, Housing Brothers office and Town and Country Planning Department.	02
7	Ex-servicemen and their dependents	03
8	Senior Citizen	10% Horizontal
9	Persons with disabilities (PwD)	5% Horizontal

24M wide road section (Symbolic)

7. अपरिहार्य परिस्थियों में भूखण्डों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा भूखण्डों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

8. भूखंड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखंड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक के MCLR दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी।

9. आवंटन:

1. भूखण्डों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जायेगा जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी।
2. लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
3. लॉटरी की तिथि से 15 कार्य दिवस के पश्चात् डिजिटली साइंड आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट http://www.ldaonline.co.in से डाउनलोड किये जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

45M wide road section (प्रतीकात्मक)

7. In unavoidable circumstances, the number of plots may be altered, and the number of plots may increase or decrease.

8. In case the allotted plot becomes disputed after allocation, no other plot will be provided. In such a situation, the amount deposited by the applicant will be refunded with simple interest at the MCLR rate of the State Bank of India.

9. Allocation

1. The plot allocation will be done through a lottery in the presence of applicants, and its information will be provided through newspapers and the authority's website.
2. The lottery results will be publicly displayed on the authority's notice board and the Lucknow Development Authority's website.
3. The digitally signed allotment letter can be downloaded from the authority's website http://www.ldaonline.co.in after 15 working days from the date of the lottery. No separate allotment letter will be issued.

45M wide road section **(Symbolic)**

30M wide road section (प्रतीकात्मक)

10. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:

लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लाटरी तिथि से तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी|

यदि आवंटी द्वारा तीन किश्तें लगातार जमा नहीं की जाएंगी तो बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु (2) के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज धनराशि वापस कर दी जाएगी।

11. तथ्यों का छिपाना:

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन / निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवेदक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर ले तथा अन्य कोई कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, कर सकता है।

12. फ्री-होल्ड शुल्क:

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री-होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। भूमि मूल्य (पार्क + कॉर्नर + 18 मीटर चौड़ी सड़क या अधिक को, यदि हो, सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री-होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।

18M wide road section (प्रतीकात्मक)

30M wide road section (Symbolic)

10. Cancellation of registration and withdrawal of deposit amount:

After lottery , if the registration amount of unsuccessful applicants is refunded within three months of the date of lottery , no interest will be payable. However, if the refund is made after more than three months, interest will be paid at a simple annual rate of 4% on the deposited amount.

If an applicant wishes to cancel the allotted plot and request to refund after allotment, 20% of the registration amount along with the applicable GST will be deducted, and the remaining amount will be refunded without any interest.

If the allottee fails to deposit three consecutive installments, the allotment will be canceLled without any notice. The amount will be refunded without interest after deductions as per point (2).

11. Hiding Facts

If any details provided by the applicant are found to be false or if any important information has been concealed, the Vice Chairman of the Lucknow Development Authority shall have the right to cancel the allotment, registration, or agreement and confiscate the entire registration amount deposited by the allottee. Additionally, any other legal proceedings deemed appropriate by the Authority may also be initiated.

12. Free-hold charges

The allotted plot will be registered as freehold land by the authority. 12% of the land value (including park, corner, and 18-meter or wider roads, if applicable) must be paid as a freehold charge before registration, which is not included in the plot price.

18M wide road section (Symbolic)

13. भूखण्ड का कब्जा:

आवंटन तिथि के पश्चात्, भूखण्ड का मूल्य व अन्य मूल्यों का भुगतान करने के पश्चात् निबंधन कर आवेदक को भूखण्ड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित अवधि के अनुरूप दिया जाएगा।

निबन्धन / अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।

15. कर/शुल्क आदि की देयता:

आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार / उ0प्र0 सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड या अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवेदक द्वारा देय होंगे।

योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क+ जी.एस.टी. का भुगतान आवंटी को करना होगा।

नगर निगम को योजना हस्तगत होने के पश्चात भी यदि कोई आवंटी भूखण्ड पर निर्माण नहीं करेगा तो उसे ₹25 प्रति वर्गमीटर वार्षिक की दर से अनुरक्षण शुल्क अलग से देय होगा।

14. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान:

आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा।

16. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:

भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनन्तिम है। विकास/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन / परिवर्तन / परिवर्धन लागू एवं मान्य होगें।

किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।

13. Possession of the Plot:

After the allotment date, upon payment of the plot value and other expenses, registration will be done, and the applicant will be given possession of the plot as per the period prescribed by RERA.

All expenses related to registration/agreement shall be borne by the applicant.

15. Liability of Tax, etc.

All taxes imposed by the Government of India / Government of Uttar Pradesh, Municipal Corporation, Authority Board, or any other department concerning the allotted plot shall be payable by the allotee.

After the registration of plots in the scheme, the allottee shall be required to pay the maintenance charges + GST, as determined by the Authority or the Government of Uttar Pradesh, for the upkeep of infrastructure facilities until the scheme is transferred to the Municipal Corporation.

3. After the scheme is handed over to the municipal corporation, if an allottee does not construct on the allotted plot, they will have to pay a maintenance fee separately at an annual rate of ₹25 per square meter.

14. Provision of mortgaging of the Plot

The applicant shall have the right to mortgage the plot to obtain a loan for depositing the amount payable to the Lucknow Development Authority, with the permission/no-objection of the authority.

16. Other General Terms & Conditions

The location, area, and price of the plots are provisional, after development final costing will be done. After the completion of development/construction work, all other prevailing rules and conditions of the Lucknow Development Authority, as well as any amendments/modifications/revisions made by the authority or the government from time to time, shall be applicable and binding.

The jurisdiction for any disputes shall be Lucknow.

17. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया:

पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक- **4.4.2025 से 3.5.2025 तक** रू-1100/-(जी0एस0टी0 सहित) का ऑनलाइन भुगतान कर www.ldaonline.co.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। ल0वि0प्रा0 की वेबसाइट-www.ldaonline.co.in पर आवेदन फार्म भरा जा सकता है। आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे-

- आवेदक/आवेदकों की फोटो
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्कैन हस्ताक्षर
- आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र।
- पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये प्रारूप पर शपथ पत्र की प्रति।

18. पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवंटन होने के पश्चात् ल0वि0प्रा0 कार्यालय के सिंगल विंडो काउंटर पर मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

19. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण में अंकित किया जाए।

(प्रतीकात्मक)

17. Registration and Application Process:

The information booklet for registration can be obtained online at http://www.ldaonline.co.in from April 4, 2025, to May 3, 2025, by making an online payment of ₹1100/- (including GST).

Applications will be accepted through online mode only. The application form will be filled out on the Lucknow Development Authority's website www.ldaonline.co.in. The following documents must be uploaded along with the application form:

I. Photograph of the applicant(s)
II. Aadhaar card
III. PAN card
IV. Scanned signature
V. Reservation category certificate
VI. A copy of the affidavit as per the format given in the registration booklet.

18. The affidavit enclosed in the registration booklet, in the prescribed format, must be submitted in its original form at the single window counter of the Lucknow Development Authority office after the allotment.

19. The bank account details should be provided in the same name as the applicant's name used for the application.

(Symbolic)

20.

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकर नहीं किए जाएंगे।

शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किया जाएगा। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पत्ति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।

संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगें।

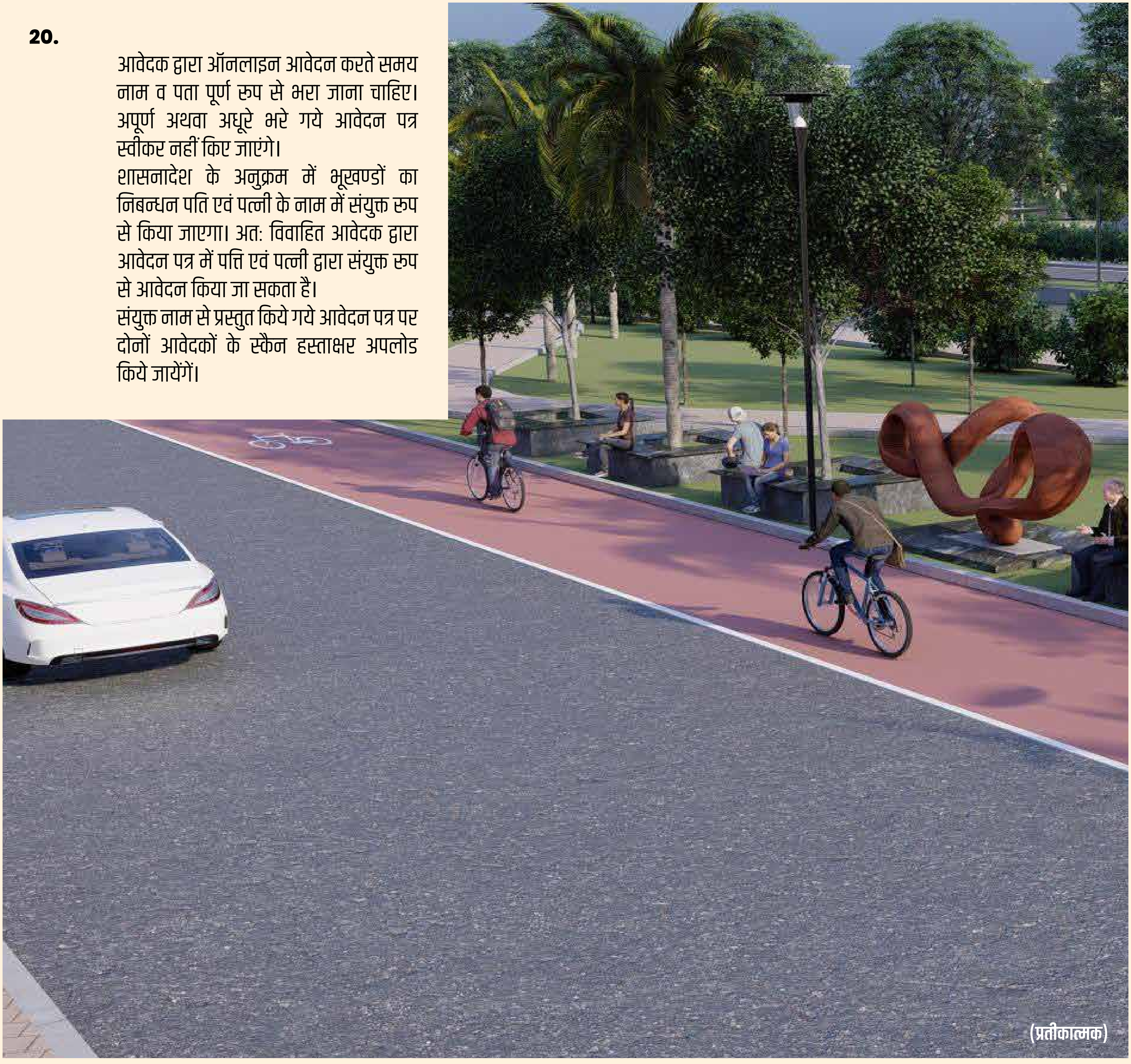

(प्रतीकात्मक)

20.

The applicant must fill their name and address completely while applying online. Incomplete or partially filled application forms will not be accepted.

As per government orders, the registration of plots is allowed to be done jointly in the name of husband and wife. Therefore, a married applicant can apply jointly with their spouse in the application form.

For application forms submitted in joint names, the signatures of both applicants must be uploaded.

(Symbolic)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

(अनंत नगर योजना)

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म का प्रारूप

(आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे)

फार्म संख्या-

1.	योजना का नाम	**अनंत नगर**
2.	उपयोजना का नाम	
3.	भुगतान पद्धति	एकमुश्त किश्तों में
4.	भूखण्ड की श्रेणी	A B C D E F
5.	आवेदक का नाम	
6.	पिता/पति का नाम	
7.	संयुक्त आवेदक का नाम	(1) (2)
8.	पिता/पति का नाम	
9.	पत्र व्यवहार का **पता**	
10.	**स्थायी पता**	
11.	पिनकोड	वैवाहिक स्थिति विवाहित अविवाहित
12.	आयु जन्मतिथि D D M M Y Y Y Y Y	लिंग पु. म. अन्य
13.	श्रेणी General SC ST O.B.C. Other	
14.	आधार संख्या	पैन नं.
15.	व्यवसाय	वार्षिक आय
16.	पंजीकरण धनराशि (अंकों में) रुपये	
17.	पंजीकरण धनराशि (शब्दों में) रुपये	
18.	**आवेदक का बैंक खाता विवरण**	
	खाताधारक का नाम	
	बैंक का नाम व शाखा	
	खाता संख्या	
	आई.एफ.एस.सी. कोड	
19.	**आवेदक द्वारा नामित उत्तराधिकारी का नाम एवं सम्बन्ध**	
	नाम	
	पिता का नाम	
	उम्र	
	नामित उत्तराधिकारी से सम्बन्ध	
20.	आवेदक का मोबाइल नं. 1	2
21.	ई-मेल:	

घोषणा

"मैं / हम एतद द्वारा यह घोषणा करता / करती हूँ /करते हैं कि मैंने / हमने पंजीकरण संबंधी सभी नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे / हमें मान्य हैं।

उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी / हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकरण को पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

यदि मुझे / हमें भूखंड आवंटित नहीं होता है, तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तांतरित कर दी जाए।

स्थान

दिनांक

आवेदक / आवेदकों के हस्ताक्षर: ____________

Lucknow Development Authority

Authority Building, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow

(Anant Nagar Yojna)

Sample Format of Application Form for Registration

(Application Forms will be filled online)

Form No.

1.	Name of Scheme	Anant Nagar
2.	Name of Sub-Scheme	
3.	Payment Mode	One-time / In Installments
4.	Category of the Plot	A / B / C / D / E / F
5.	Name of Applicant	
6.	Name of Father/Husband	
7.	Name of Joint Applicant	(1) / (2)
8.	Name of Father/Husband	
9.	Postal Address	
10.	Permanent Address	
11.	Pincode	Marital Status: Married / Unmarried
12.	Age / Date of Birth	Gender: M / F / other
13.	Category	
14.	Aadhar No.	PAN No.
15.	Occupation	Annual Income
16.	Registration Amount (in digits) Rupees	
17.	Registration Amount (in words) Rupees	
18.	**Details of Applicant's Bank Account**	
	Name of Account Holder	
	Name of Bank & Branch	
	Account N0.	
	I.F.S.C Code	
19.	**Name and relation of the designated successor by the applicant**	
	Name	
	Father's Name	
	Age	
	Relation from the Designated Successor	
20.	Mobile No. of Applicant	2
21.	E-mail	

Announcement

I/We hereby declare that I / we have fully read and understood all the registration terms and conditions which are valid to me/ us.

All the above information is true in my / our information and no facts have been hidden. If any fact or information is found to be false or incomplete, the authority will have the right to cancel the registration/ allotment.

If the plot is not allotted to me / us, the refund amount will be transferred to the bank details mentioned in the application form.

Place:

Date:

Signature of Applicant/Applicants: ______________

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र ₹-10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो ।)

मैं/हम श्री/श्रीमती ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .... आयु .... वर्ष, ...

निवासी ....

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि-

मैं / हम भारत का नागरिक हूँ / हैं।

मेरे / हमारे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है) के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई अपना भूखंड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड/भवन नहीं है।

मैं / हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूँगा / करूँगी / करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।

यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन / भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूँगा / करूँगी।

मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा / करूँगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपाध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

हस्ताक्षरः ....

अनंत नगर योजना

मोहान रोड, लखनऊ

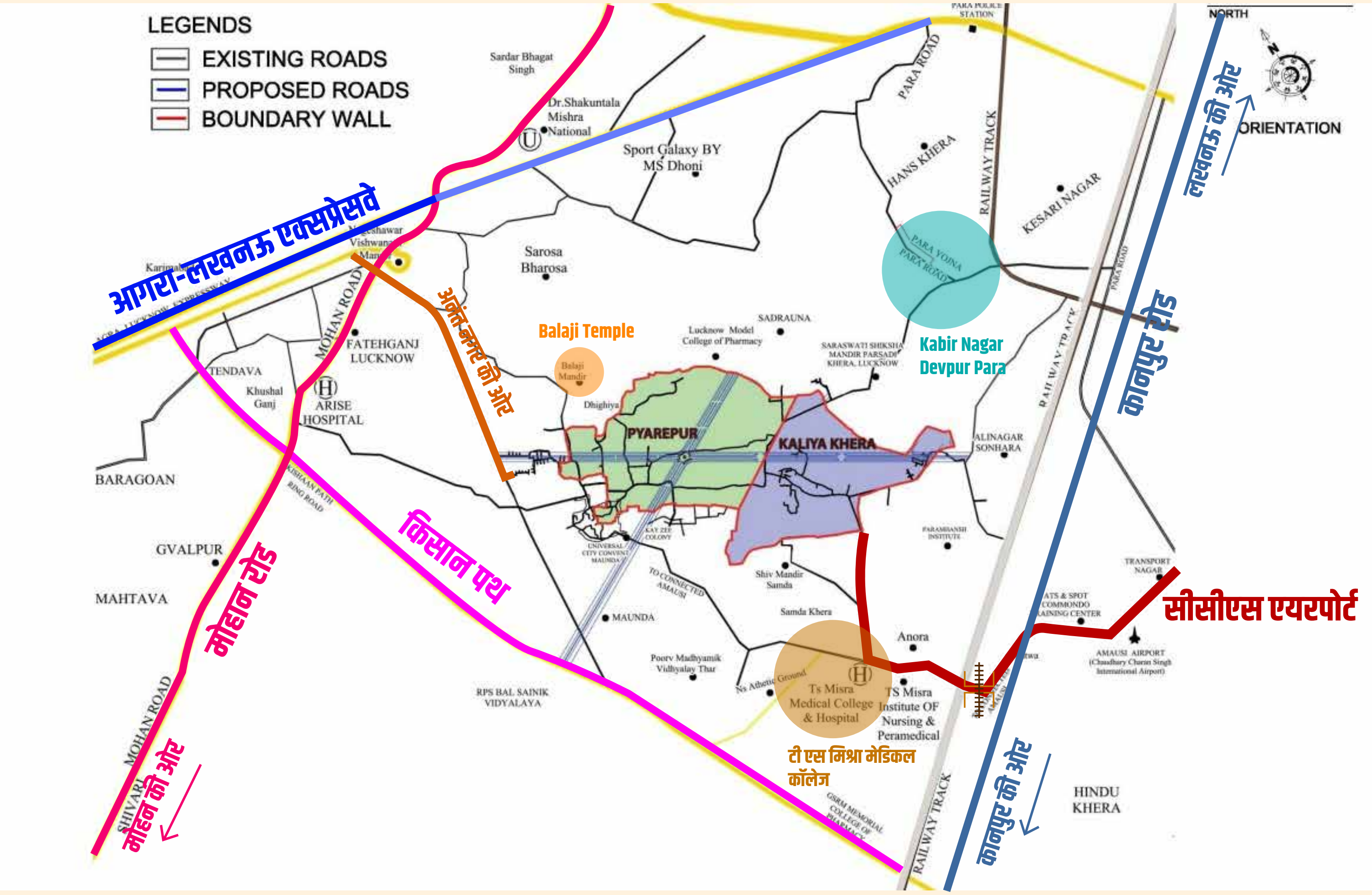

- सी.सी.एस. एयरपोर्ट/मेट्रो स्टेशन - **10 मिनट**
- आगरा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी - **10 मिनट**
- देवपुर पारा ग्रुप हाउसिंग - **~10 मिनट**
- शहीद पथ - **15 मिनट**
- निकटतम चिकित्सा विश्वविद्यालय - **1 किमी**
- किसान पथ - **2 किमी**
- आलमबाग बस स्टैंड - **12 किमी**
- चारबाग रेलवे स्टेशन - **15 किमी**
- अमौसी रेलवे स्टेशन - **5 मिनट**

अनंत नगर योजना

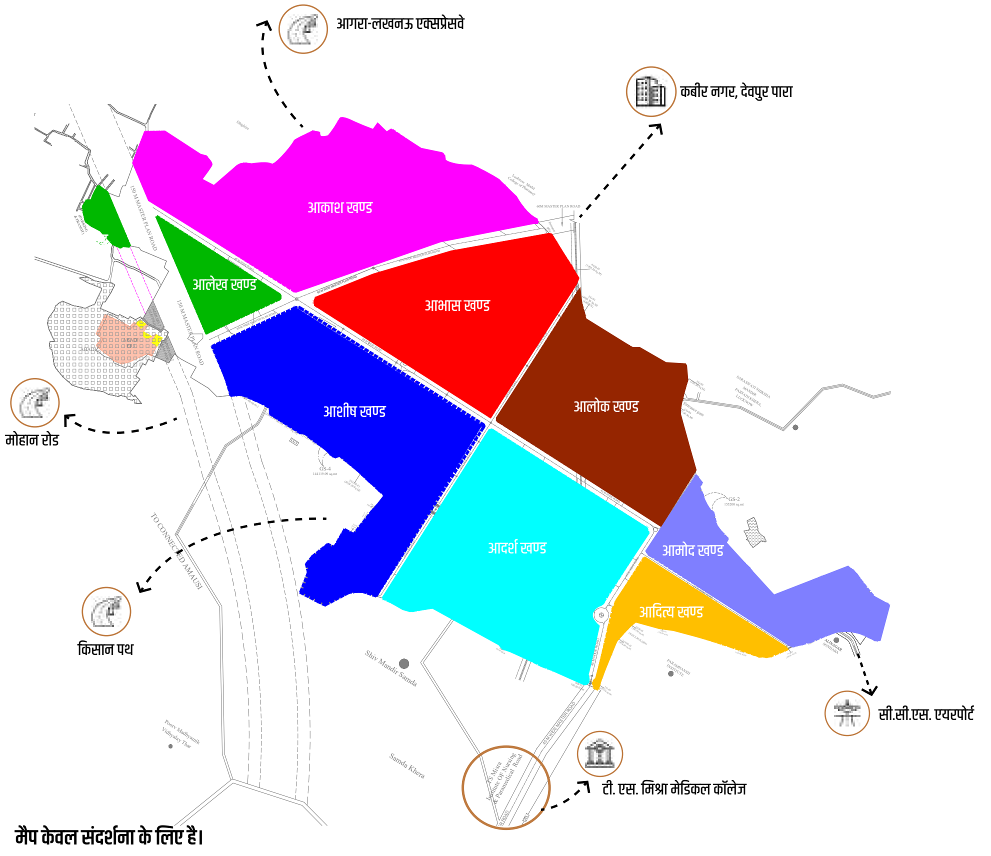

1. आकाश खण्ड
2. आलेख खण्ड
3. आशीष खण्ड
4. आभास खण्ड
5. आलोक खण्ड
6. आदर्श खण्ड
7. आदित्य खण्ड
8. आमोद खण्ड

अधिक जानकारी हेतु स्कैन करें

हमारा प्रयास, सबको आवास।

भुगतान संबंधी सेवा प्रदाता बैंक - ICICI बैंक, हजरतगंज, लखनऊ

विनेश सोनधिया - +91 9625667002

अभिनय पटेल - +91 9712942974

ऑनलाइन पंजीकरण हेतु संपर्क सूत्र 1800 1800 5000

सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक

नोडल अधिकारी:

श्री विपिन शिवहरे	श्री माधवेश कुमार
प्रभारी सम्पत्ति	उप सचिव
9119950303	9918005512

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ, ई मेल: prolda.168@gmail.com

मूल्य : 1100/-